न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–06/2021

1. श्री भगतराम पिता हरिराम जाति तेली निवासी सेमरड़ा तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये भूमिधारी तहसीलदार, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राजस्थान

–– रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1026 दिनांक 16.03.2020 ग्राम सेमरड़ा

उपस्थितः 1. स्वयं अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 21.12.2021

1. यह अपील अपीलान्ट ने प्रशासन गावों के संग अभियान शिविर में उपस्थित होकर ग्राम सेमरड़ा में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1026 दिनांक 16.03.2020 के विरूद्ध पेश की जिसके तथ्य सक्षेप इस प्रकार है कि ग्राम सेमरड़ा के वर्तमान खाता संख्या 66 कुल किता 4 रकबा 0.80 हैक्ट0 में अन्य सह खातेदारों के साथ गीताबाई पत्नी मोहनलाल 1/5 छगनलाल पिता हरिराम 1/5 व अपीलान्ट भगतराम पिता हरिराम 1/10 तेली तथा खाता संख्या 65 कुल किता 7 रकबा 3.43 हैक्ट0 में सह खातेदारों के साथ गीताबाई पत्नी मोहनलाल 2/15 छगनलाल पिता हरिराम 2/15 व अपीलान्ट भगतराम पिता हरिराम 1/15 तथा खाता संख्या 67 कुल किता 1 रकबा 0.09 हैक्ट0 सह खातेदारों के साथ गीताबाई पत्नी मोहनलाल 1/15 छगनलाल पिता हरिराम 1/15 व अपीलान्ट भगतराम पिता हरिराम 1/30 दर्ज है इस समस्त भूमियों में खातेदारों की बहन केसर बाई व भंवर बाई पिता हरिराम तेली का नाम दर्ज रेकार्ड था जिन्होने दिनांक 09.09.2015 को जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र अपनी समस्त भूमि समान रूप से अपने दोनो भाई छगनलाल व भगतराम एवं भाभी गीता बाई पत्नी मोहनलाल के नाम हकत्याग कर दी थी जिसका नामान्तरकरण संख्या 1026 दिनांक 16.03.2020 को स्वीकृत किया गया जिसमें सहवन से पटवारी द्वारा दोनों बहनों द्वारा हकत्याग की गई समस्त भूमि भाई छगनलाल व भाभी गीताबाई के नाम दर्ज कर दी जो उक्त खातों में समिलित होकर गीताबाई व छगनलाल के नाम दर्ज हो गई है इसमे अपीलान्ट भगतराम का नाम छुट गया जिसे जुडवाने हेतु यह अपील पेश की अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1026 दिनांक 16.03.2020

को निरस्त कर रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 09.09.2015 अनुसार पुनः नामान्तकरण करने का आदेश प्रदान किया जावें।

2. अपील दर्ज रजिस्टर कर शिविर में ही जॉच तहसीलदार छोटीसादड़ी से करवाई गई जिसमें अपील मेमों में अंकित सारे कथन सही होना बताया गया तथा अपीलान्ट का नाम सहवन से छुटना बताया गया जिसे जोड़ा जाना न्यायोचित है।

3. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर ग्राम सेमरड़ा के नामान्तरकरण संख्या 1026 दिनांक 16.03.2020 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार छोटीसादड़ी को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार रजिस्टर्ड हकत्याग दिनांक 09.09.2015 अनुसार पुनः नामान्तकरण दर्ज करें।

यह निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड़ अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़